Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to permit Members of Parliament to recommend more number of patients seeking help from Prime Minister's National Relief Fund.

श्री लक्ष्मी नारायण यादव (सागर)ः नियम 377 के माध्यम से सूचना देना चाहता हूँ कि आजकल खान-पान की आदतों से, प्रदूाण तथा रसायनिक खादों के अत्यधिक उपयोग के कारण बड़ी मात्रा में लोगों को कैंसर, ह्रदय रोग, ट्यूमर जैसी बीमारियां हो रही हैं, जिनके इलाज पर भारी खर्च होता है। आम गरीब आदमी में इस खर्च को वहन करने की क्षमता नहीं रहती है। भारत सरकार ने प्रत्येक संसदीय क्षेत्र से 36 लोगों को इस प्रकार के रोगियों का सांसदों की अनुशंसा पर आर्थिक सहयोग करने का प्रावधान कर रखा है। परन्तु एक र्वा में एक संसदीय क्षेत्र में इस प्रकार के रोगियों की संख्या इससे कहीं ज्यादा होती है, जिसके कारण अधिकांश गरीब लोग धन के अभाव में अपना इलाज कराने से वंचित रह जाते हैं।

अतः मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि प्रतिर्वा 60 व्यक्तियों का इलाज करने की अनुशंसा करने का अधिकार माननीय सांसदों को देने की कृपा करें, जिससे अपने-अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को सहयोग कर उनकी सेवा कर सकें।